

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-2811  
बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

वैश्विक मंदी के पश्चात बढ़ती बेरोजगारी

2811. श्री विजय पाल सिंह तोमर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बेरोजगारी के आंकड़ों की राज्य-वार और श्रेणी-वार स्थिति क्या है;
- (ख) सरकार अगले पांच वर्षों में बेरोजगारी को कम करने के लिए कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है;
- (ग) क्या इस संबंध में कोई नीतिगत बदलाव आया है;
- (घ) क्या वैश्विक मंदी के पश्चात इन आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मंदी के कारण बेरोजगारी में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर श्रेणी-वार अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई है:

सामाजिक समूह	बेरोजगारी दर (% में)
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	4.3
अनुसूचित जाति (एससी)	6.3
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	6.0
अन्य	6.7
सभी व्यक्ति	6.1

सभी व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख से ङ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित रोजगार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सृजित रोजगार				
योजनाएं/वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (लाख में)	3.23	4.08	3.87	5.87 (31-03-2019 तक)
एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित मानव-दिवस (करोड़ में)	235.14	235.64	233.74	267.9 (मई, 2019 तक)
डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत नियोजित अभ्यर्थी (लाख में)	1.09	1.48	0.76	1.36 (मई, 2019 तक)
डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजन (लाख में)	0.34	1.52	1.15	1.63 (18-06-2019 तक)

स्रोत: संबंधित मंत्रालय

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 01.07.2019 तक, इस योजना में 1,52,035 प्रतिष्ठान तथा 1.21 करोड़ लाभार्थी शामिल कर लिए गए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक, इस योजना के तहत 18.26 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के अन्य फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा के दिनांक 17.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2811 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर सभी आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)
1.	आंध्र प्रदेश	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.9
3.	असम	8.1
4.	बिहार	7.2
5.	छत्तीसगढ़	3.3
6.	दिल्ली	9.7
7.	गोवा	13.9
8.	गुजरात	4.8
9.	हरियाणा	8.6
10.	हिमाचल प्रदेश	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	5.3
12.	झारखंड	7.7
13.	कर्नाटक	4.8
14.	केरल	11.4
15.	मध्य प्रदेश	4.5
16.	महाराष्ट्र	4.9
17.	मणिपुर	11.6
18.	मेघालय	1.5
19.	मिजोरम	10.1
20.	नागालैंड	21.4
21.	ओडिशा	7.1
22.	पंजाब	7.8
23.	राजस्थान	5.0
24.	सिक्किम	3.5
25.	तमिलनाडु	7.6
26.	तेलंगाना	7.6
27.	त्रिपुरा	6.8
28.	उत्तराखंड	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	6.4
30.	पश्चिम बंगाल	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	15.8
32.	चंडीगढ़	9.0
33.	दादर और नगर	0.4
34.	दमन और दीव	3.1
35.	लक्षद्वीप	21.3
36.	पुडुचेरी	10.3
	अखिल भारत	6.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवाधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय